समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला गोपनीय शाखा)

मो0 सोहैल, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 30-11-2015 को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की गयी सोमवारीय (Monday Meeting) बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

पंजी के अनुसार।

(2) अनुपस्थित पदाधिकारी

समीक्षा के क्रम में निम्नांकित पदाधिकारी बैठक से अनुपस्थित पाये गये :-

क्र0	संबंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1.	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा	अवकाश में।
2.	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा	बैठक में भाग लेने हेतु पटना गये।
3.	सहायक निदेशक, सा0सु0कोषांग, मधेपुरा	अवकाश में।
4.	कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज	बिना किसी सूचना के अनुपस्थित।
5.	कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, राघोपुर	बिना किसी सूचना के अनुपस्थित।
6.	जिला मत्स्य पदाधिकारी, मधेपुरा	बिना किसी सूचना के अनुपस्थित।
7.	अधीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा	विधि-व्यवस्था कार्य में प्रतिनियुक्त।
8.	ए0जी0एम0, बिहारीगंज	बिना किसी सूचना के अनुपस्थित।
9.	ए0जी0एम0, मुरलीगंज	बिना किसी सूचना के अनुपस्थित।
10.	ए0जी0एम0, मुरलीगंज	बिना किसी सूचना के अनुपस्थित।
11.	आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा	अवकाश में।
12.	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा	बिना किसी सूचना के अनुपस्थित।

प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा जाए।

(अनुपालन-प्रभारी पदा0, जिला गोपनीय शाखा /कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा)

➢ सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

➢ जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि आज व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा में डी0एल0सी0सी0 की बैठक आयोजित है, जिसमें उदाकिशुनगंज न्यायालय भवन, व्यवहार न्यायालय के अन्य क्वार्टरों के निर्माण कार्य की समीक्षा की जाएगी। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि भवनो में पक्का गराज का प्राक्कलन तैयार कर अविलम्ब उपलब्ध करावें।

(3) जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों के साथ अंतर विभागीय समन्वय बैठक हेतु निम्नांकित विभागों की समीक्षा विभागवार की गयी :-

क्र0	संबंधित विभाग /पदाधिकारी का नाम	इस सप्ताह में किए जाने वाले कार्य

1.	राजस्व (अपर समाहर्त्ता)	(क) ऑपरेशन दखल देहानी – जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 27-11-2015 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंस में निदेशित किया गया कि जहां भी जमीन की कमी है, उसकी सम्पुष्टि करा लें। यदि वकील नहीं है, तो नियमानुसार वकील को चिन्हित कर सम्पुष्टि करा लें। अपर समाहर्त्ता से अनुरोध किया गया कि ऑपरेशन दखल देहानी का विस्तृत प्रतिवेदन अगले सोमवारीय बैठक में उपलब्ध कराया जाए। जिलाधिकारी द्वारा अपर समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि अमीन की कमी है, तो सेवानिवृत अमीन को संविदा पर बहाल कर कार्य लिया जाए एवं ऑपरेशन दखल देहानी के तहत किए गए कार्य को इसके वेबसाईट पर अपलोड करावें। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि समाहरणालय, मधेपुरा के विभिन्न शाखाओं से विभिन्न प्रारुप में पत्र निर्गत होता है, जिससे यह पता ही नहीं चल पाता है कि यह पत्र किस शाखा से निर्गत की गयी एवं कागज /प्रिंटिंग की भी गुणवत्ता अच्छी नहीं रहती है। इस हेतु अधोहस्ताक्षरी पत्र का प्रारुप जिसमें फॉन्ट, साईज आदि एवं कागज /प्रिंटिंग की गुणवत्ता इत्यादि मानक के अनुसार तैयार किया गया है। निदेश दिया गया कि इसी प्रारुप के अनुसार अपने-अपने शाखा से पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। (ख) अतिक्रमण वाद :- भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा के उपस्थित नहीं रहने के कारण इसकी समीक्षा नहीं की जा सकी। निदेशित किया गया कि अगले सोमवारीय बैठक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता बैठक में उपस्थित रहेंगे। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी यथा- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा आदि के साथ विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से ही प्रत्येक सप्ताह समीक्षा की जाएगी। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि विडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित कराने हेतु सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज को निदेशित किया गया कि अतिक्रमण वाद से संबंधित एक प्रोफोर्मा है, जिसकी प्रति छपवाकर सभी अंचलाधिकारी को 300-400 प्रति उपलब्ध करायी जाएगी। हल्कावार प्रतिवेदन प्राप्त कर उसे समेकित कर प्रत्येक सोमवारीय बैठक में उपलब्ध करायी जाए। यदि उक्त कार्य में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, तो जहानाबाद के भूमि सुधार उप समाहर्त्ता से सम्पर्क कर कार्य सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें। **(ग) विभिन्न योजनाओं के लिए भूमि का हस्तांतरण** :- अपर समाहर्त्ता से अनुरोध किया गया कि राजस्व कार्यालय में बिजली से संबंधित जितने भी मामले प्राप्त हुए, उनकी जांच कर अविलम्ब नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। (घ) बसेरा :- शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा को सर्वेक्षण कार्य दिनांक 20-12-2015 तक कार्य पूर्ण करवाने का निदेश दिया गया।

		(ड़) नगर परिषद्, मधेपुरा :- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज को निदेशित किया गया कि सभी वार्ड आयुक्तों के साथ एक बैठक आहूत की जाए। बैठक में समीक्षा की जाए कि किस वार्ड में क्या कार्य करना है, उसकी विवरणी मंगवा ली जाए तथा निर्धारित तिथि के बाद प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि वैसे शहरी गरीब परिवार, जो भूमिहीन है, उन्हें कल्स्टर पर बसाने हेतु मुख्यमंत्री सम्पर्क योजना के तहत् विचार किया जाएगा। यह भी बताया गया कि मुख्मयंत्री सम्पर्क योजना मद में काफी राशि शेष बची हुई है। जिलाधिकारी द्वारा सुझाव दिया गया कि जिस-जिस महादलित बस्ती में आने-जाने /रास्ता संबंधी समस्या है, उसके समाधान हेतु संबंधित अंचलाधिकारी के स्तर से प्रतिवेदन मांगा जाए और उक्त राशि से उसका नियमानुसार निदान किया जाए। अपर समाहर्त्ता से अनुरोध किया गया कि अपने स्तर से इस संबंध में सभी अंचलाधिकारी को पत्र निर्गत किया जाए। (च) भूमि से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय के मामलें :- अपर समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि एक भी मामला लंबित नहीं है। (छ) भूदान- अपर समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। (ज) सैरात :- अपर समाहर्त्ता से अनुरोध किया गया कि बंदोवस्ती संबंधी अद्यतन स्थिति उपलब्ध करायी जाए। (झ) कृषि गणना (सांख्यिकी) :- जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधेपुरा से पृच्छा की गयी कि टी0एफ0आर0 की क्या स्थिति है, तो इस संबंध में उनके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका। निदेशित किया गया कि इस संबंध में अगली बैठक में विस्तृत प्रतिवेदन के साथ उपस्थित रहेंगे तथा विभाग को अधिक टी0एफ0आर0 उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार किया जाए। यह भी निदेशित किया गया कि यह फॉर्म आंगनवाड़ी सेविका को भी उपलब्ध करावें।
2.	आपदा (अपर समाहर्त्ता, आपदा)	**(क) बैंक को नोटिस :-** जिलाधिकारी द्वारा पृच्छा की गयी कि बैंक को नोटिस निर्गत किया गया है अथवा नहीं, इस संबंध में अपर समाहर्त्ता, आपदा द्वारा बताया गया कि आपदा के तहत् राशि दी गयी थी, किन्तु वापस नहीं किया गया है। अनुरोध किया गया कि आज ही संबंधित बैंक प्रबंधक के विरूद्ध नोटिस निर्गत करें। यदि राशि वापस नहीं की जाती है, तो आपदा प्रबंधन के सुसंगत धारा के अधीन उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि आपदा प्रबंधन विभाग के माननीय मंत्री महोदय मधेपुरा जिला के हैं, फलस्वरूप आपदा प्रबंधन के तहत् सभी कार्यो का निष्पादन /अनुश्रवण ससमय किया जाना वांछनीय है। निदेश दिया गया कि सभी कार्य ससमय सुनिश्चित करावें। **(ख) डी0सी0 विपत्र :-** अपर समाहर्त्ता, आपदा द्वारा बताया गया कि डी0सी0 विपत्र का समायोजन करा दिया गया है, कुछ डी0सी0 विपत्र का समायोजन करना शेष बचा हुआ है, जिसे जल्द ही समायोजन करा दिया जाएगा। **(ग) कृषि इनपुट अनुदान /डीजल अनुदान :-** जिलाधिकारी द्वारा बताया

		गया कि इसकी समीक्षा कृषि टास्क फोर्स की बैठक में अलग से की जाएगी, जिसमें अपर समाहर्त्ता, आपदा को भाग लेने का अनुरोध किया गया।
3.	उप विकास आयुक्त, मधेपुरा	**(क) स्वच्छ भारत अभियान** :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि इसकी समीक्षा अगले सप्ताह में विस्तार से की जाएगी। उप विकास आयुक्त से अनुरोध किया गया कि अपने स्तर से सभी संबंधित सदस्यों /अध्यक्षों को सूचित कर बैठक बुलाने हेतु सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बताया गया कि उक्त मद में बहुत राशि बची हुई है, जिससे पूरे शहरी इलाके में अच्छी तरह से साफ-सफाई करवाने में नियमानुसार व्यय किया जा सकता है। कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि वाटर सप्लाई हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। **(ख) शौचालय निर्माण** :- कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि शौचालय निर्माण कार्य की जांच स्वयं करें, यदि किसी प्रखण्ड से किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। (ग) एस0ई0सी0सी0 :- उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। (घ) इंदिरा आवास :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मनरेगा कार्ड की जांच कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा द्वारा किया जाना है, जबकि संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से जांच किया जा रहा है। निदेशित किया गया कि सत्यापन करने के उपरान्त संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी को ही उपलब्ध करावें। **(ड़) मनरेगा** :- उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि मनरेगा अन्तर्गत कार्य पूर्ण किया जा रहा है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। **(च) 13वीं वित्त आयोग / बी0आर0जी0एफ0**:- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि 13वीं वित्त आयोग अन्तर्गत बहुत सारी योजनाऐं लंबित पड़ी हुई है। उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 05-12-15 को सभी मुखिया के साथ बैठक आयोजित की गयी है, जिसमें इस बिन्दु पर समीक्षा की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा 13वीं वित्त आयोग योजना एवं बी0आर0जी0एफ0 योजना के तहत् सभी उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक 15-12-2015 तक विभाग को भेजने हेतु निदेशित किया गया। (छ) पंचम वित्त की राशि :- समीक्षा के क्रम में निदेशित किया गया कि दिनांक 15-12-2015 तक उक्त मद की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को उपलब्ध कराया जाए। (ज) कोशी पुनर्वास योजना :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि इसकी समीक्षा आज दिनांक 30-11-2015 को अलग से की जाएगी। उप विकास आयुक्त से अनुरोध किया गया कि अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन सहित सभी संबंधितों के साथ उक्त बैठक में उपस्थित रहेंगे।
4.	(कन्या विवाह योजना) जिला प्रोग्राम	(क) जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि कन्या विवाह योजनान्तर्गत जितने भी लाभुक हैं, उसकी सूची संबंधी आंगनवाड़ी सेविका से प्राप्त की जाए एवं नियमित अनुश्रवण की जाए। साथ

	पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा	ही उक्त योजना के लाभुकों का भुगतान नियमानुसार अविलम्ब सुनिश्चित करें। **(ख) टी0एच0आर0 वितरण** :- जिला प्रोग्राम पदा0, आई0सी0डी0एस0 को निदेशित किया गया कि सिंहेश्वर में दो जगह टी0एच0आर0 वितरण में बड़बड़ी की शिकायतें प्राप्त हुई थी, इस संबंध में जांच कर कार्रवाई करें एवं अनुपालन से अवगत करावें। साथ ही सभी पदाधिकारी को जांच हेतु आदेश निर्गत करें, जिसमें टी0एच0आर0 के लिए एक पदाधिकारी को दो-दो सेन्टर आवंटित करें। चेक लिस्ट के अनुसार जांच करावें। **(ग) आंगनवाड़ी सेविका /सहायिका रिक्ति** :- निदेशित किया गया कि सेविका /सहायिका एवं अन्य पदों से संबंधित जितनी भी रिक्ति हैं, उसे तुरंत विभाग को संसूचित करें। **(घ) उपयोगिता प्रमाण-पत्र** :- निदेशित किया गया कि इस सप्ताह में सभी उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को भेंजे तथा अनुपालन से अवगत करावें।
5.	(जीविका) जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जीविका, मधेपुरा	डी0पी0एम0, जीविका से पृच्छा की गयी कि जीविका अन्तर्गत कोई समस्या है अथवा नहीं, तो डी0पी0एम0 द्वारा बताया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, मधेपुरा में खाता खुलवाने संबंधी फॉर्म की कमी थी, जिसके संबंध में अग्रणी बैंक प्रबंधक, से वार्ता कर उसका निदान कर लिया गया है।
6.	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा	जिला पंचायत राज पदाधिकारी के बैठक से अनुपस्थित रहने के कारण इसकी समीक्षा नहीं की जा सकी। निदेशित किया गया कि अगली सोमवारीय बैठक में विस्तृत प्रतिवेदन के साथ उपलब्ध रहेंगे।
7.	(शिक्षा) जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, शिक्षा /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, एम0डी0एम0, मधेपुरा	(क) छात्रवृति वितरण, साईकिल वितरण, पोशाक वितरण आदि की समीक्षा के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। समीक्षा के क्रम में कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि सभी विपत्र को नियमानुसार पारित किया जाए। मुशहर जाति के लाभुकों को छात्रवृति भुगतान हेतु समीक्षा की गयी, तो जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि आज बिल कोषागार में भेजा जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि एक समीक्षा बैठक तृतीय सप्ताह में आयोजित की जाए, जिसमें राशि की आवश्यकता एवं उपयोगिता पर समीक्षा की जाएगी। (ख) शिक्षकों के वेतन /भत्ता भुगतान की स्थिति :- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना शिक्षा द्वारा बताया गया कि सभी शिक्षकों का वेतन भुगतान कर दिया गया है। एक भी मामला लंबित नहीं है। निदेशित किया गया कि सभी संबंधित शिक्षकों के एरियर का भुगतान दिनांक 10-12-2015 तक नियमानुसार करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन से अवगत करावें। **(ग) शिक्षकों के अंतर विद्यालय में प्रतिनियुक्ति** :- समीक्षा के क्रम में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना द्वारा बताया गया कि आदेश निर्गत कर दिया गया है, जिसका अनुपालन किया जा रहा है। निदेश दिया गया कि सभी प्रधानाध्यापक /प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें। जिलाधिकारी द्वारा निदेशित किया गया कि प्रखण्ड स्तर पर एवं जिला स्तर पर

		एक-एक कमिटी का गठन करने हेतु प्रस्ताव संचिका के माध्यम से अविलम्ब उपस्थापित करें, ताकि शिक्षक-बच्चों के अनुपात में विद्यालय में शिक्षकों का पदस्थापन किया जा सके, ताकि किसी भी विद्यालय में शिक्षकों की कमी नहीं रहे। (घ) मध्याह्न भोजन योजना :- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना द्वारा बताया गया कि इस मद में राशि प्राप्त है। सभी विद्यालयों में एम0डी0एम0 योजना कार्यान्वित की जा रही है। जिलाधिकारी द्वारा सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी /अभियंतागणों से अनुरोध किया गया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान अपने-अपने कार्यालय जाते समय आंगनवाड़ी केन्द्र, एम0डी0एम0 योजना, निर्माणाधीन सड़क आदि की जांच की जाए एवं जांच प्रतिवेदन संबंधित विभाग को उपलब्ध करायी जाए। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि सर्वशिक्षा अन्तर्गत व्यय राशि का नियमानुसार समायोजन करा लें तथा अगली सोमवारीय बैठक में प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें कि राशि का समायोजन कर ली गयी है।
8.	(पैक्स /आपूर्ति /एस0एफ0सी0) जिला आपूर्ति पदाधिकारी/ जिला सहकारिता पदा0 /जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0, मधेपुरा	**(क) धान अधिप्राप्ति** :- जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि अभी तक 50 पैक्सों से धान प्राप्त हुआ है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मुख्य सचिव महोदय के स्तर से इसकी समीक्षा की जाएगी। अतएव शेष पैक्सों हेतु पत्र निर्गत करें। साथ ही संबंधित पैक्स अध्यक्षों का मोबाईल नं0 जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को उपलब्ध करावें, ताकि एस0एम0एस0 के माध्यम से इसकी सूचना दी जा सके। **(ख) एस0एफ0सी0** :- समीक्षा के क्रम में जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि जांच की कार्रवाई की जा रही है। धान के मिलिंग हेतु 04 मिल को चिन्हित किया गया है। सी0एम0आर0 का कोई मामला लंबित नहीं है। जिलाधिकारी द्वारा निदेशित किया गया कि अधिवक्ता के जवाब का कार्रवाई अधिवक्ता से ही किया जाना श्रेयस्कर होगा। निदेशित किया गया कि अनाज का उपयोगिता प्रमाण-पत्र अविलम्ब भेजे।
9.	(कल्याण) जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा	**(क) अनु0जाति /जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम** :- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि एस0टी0 /एस0सी0 संबंधी मामलों के निष्पादन हेतु बैठक आयोजित की गयी थी। **(ख) अनु0 जनजाति छात्रावास की अद्यतन स्थिति** :- जिला कल्याण पदा0 द्वारा बताया गया कि टी0पी0 कॉलेज, मधेपुरा स्थित अम्बेदकर छात्रावास में आवश्यक सामग्री हेतु निविदा प्रकाशित की जा चुकी है। **(ग) ओ0बी0सी0 छात्रावास** :- जिला कल्याण पदा0 द्वारा बताया गया कि ओ0बी0सी0 छात्रावास में शिक्षा विभाग का कार्यालय चल रहा है, जिसे खाली कराने की आवश्यकता है, इस संबंध में पूर्व में अनुरोध किया गया है, किन्तु जिला शिक्षा पदा0 द्वारा खाली नहीं किया जा रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि जिला मुख्यालय के आस-पास सरकारी विद्यालय, जो खाली है, उसे चिन्हित कर शिक्षा कार्यालय को हस्तांतरण करने की दिशा में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा